रजिस्टर्ड ए0 डी0

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई–मेलः ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

संः0–राज/जैसल –7/सि.अ.–1

दिनांक.

प्रेषित मै सीमा मिनरन्स एण्ड मेटल्स्
203– ए मेवाड ईण्डस्ट्रीयल एरिया
रोड न. 11/फ, मादडी
उदयपुर 313 003(राजस्थान)

विषयः राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी कपूरिया सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 48.7 हैक्टेयर **मे** खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानो का उल्लंघन ।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 11.02.2017 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26 (2)	पट्टाधारी/ऐजेन्ट/प्रबन्धक या खनि अभियन्ता को प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई तक यह जानकारी देनी है कि खान में प्रोग्रेसीव खनन बन्द योजना के प्रस्तावों के अनुसार रक्षित एंव पुनःस्थापित कार्य (Protective & rehabilitative works) किस प्रकार/अनुपात में किये जा रहे है तथा यदि कोई विचलन आ रहा हो, ता उसका कारण क्या है। परन्तु आपके द्वारा नियम 26(2) की अनुपालना के लिये 2015–16 की वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की गई है।
31(4)	इन नियमों के अधीन बनाए गये सभी प्लान और सेक्शन को अद्यतन (अप–टू–डेट) कराकर नहीं रखे गये हैं।
33	नियम 31 के तहत बनाए गए सभी प्लान एवं सेक्शंन प्रत्येक वर्ष 30 जून तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक (अजमेर) को अद्यतन (अप–टू–डेट) करके प्रस्तुत किए जाने थे, लेकिन वर्ष 2015–16 के लिये अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
नियम 55 (i) (सी)	आपकी उपरोक्त खान में नियमानुसार अभी तक खनन अभियन्ता एवं भूवैज्ञानिक की नियूक्ती नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2) खनि अभियन्ता, ,खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच सी शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो